

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:अदठारह-आशु0(वरि0)-2015

दिनांक:जुलाई 30, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा चयन वर्ष-2014 की रिक्तियों के सापेक्ष के सापेक्ष दिनांक 21.03.2016 से 29.03.2016 तक हुई प्रोन्नति चयन समिति की बैठक में अपूर्ण सेवाभिलेखों के कारण पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थगित 01 प्रकरण पर दिनांक 25.07.2016 को पुनः विचार किया गया, जिसमें 01 पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नवत् अंकित है:-

क्र० सं०	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	परिक्षेत्र/इकाई	चयन का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852290257	ब्रहम सिंह	तिलक राम	05-07-1962	SBL	मुरादाबाद	2014

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) अपने नियुक्ति स्थान जनपद /इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-


- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रोन्नति सूची एवं प्रारूप (क)


(ए०के० शुक्ल)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 3- पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल/रामपुर।

संख्या तथा दिनांक वही।


प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को शासकीय गजट के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।


(ए०के० शुक्ल)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।